संख्या- 104 /2026 / 813 /चार-2026- 2033982

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2026**

विषय:- भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2025 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय हेतु 17- मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4630 /सं0नि0-15(106)/2025-26, दिनांक 11 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2025 तक रिवर फन्ट, गोमती नगर, लखनऊ, प्रेरणा स्थल, लखनऊ, बलरामपुर, बटेश्वर, आगरा तथा सीतापुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों, कवियों के मानदेय एवं कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाओं पर **रू0 1,11,56,707.00** का **वास्तविक व्यय** हुआ है तथा मद में रू0 12.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है शासनादेश संख्या- 04/2026/3618/चार-2025-1882222 दिनांक 05 जनवरी, 2026 द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2025 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु **रू0 84.72 लाख** तथा शासनादेश संख्या- 97/2026/812/चार-2026-1882222 दिनांक 25 मार्च, 2026 द्वारा मद में अवशेष धनराशि **रू0 15.28 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2025 तक रिवर फन्ट, गोमती नगर, लखनऊ, प्रेरणा स्थल, लखनऊ, बलरामपुर, बटेश्वर, आगरा तथा सीतापुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों, कवियों के मानदेय एवं कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाओं पर हुए अतिरिक्त व्यय **रू0 11,56,707.00 (रूपये ग्यारह लाख छप्पन हजार सात सौ सात मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय - 17- मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन - 42- अन्य व्यय मद से प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया आयेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) शासनादेश संख्या- 04/2026/3618/चार-2025-1882222 दिनांक 05 जनवरी, 2026 व शासनादेश संख्या- 97/2026/812/चार-2026-1882222 दिनांक 25 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय/ भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(5) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(7) संस्कृति निदेशालय/ भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(10) संस्कृति निदेशालय द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का व्यय विवरण शासन को एक माह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205000010300 संस्कृति निदेशालय- **मानक मद** 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हो रही बचतों से धनराशि **रू0 12.00 लाख (रु0 बारह लाख मात्र)** को संक्रमित कर पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक- 2205008001700 मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या- 104 /2026 / 813 (1) /चार-2026- 2033982 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-813-Reapp AB Vajpayee

विषय:- 17-मा० अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धन आवंटन कराये जाने के सम्बंध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	98,00,000 रुपये अट्ठानबे लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 12,00,000	₹ 12,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205008001700 (मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन)	42 (अन्य व्यय)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	1,12,00,000 रुपये एक करोड़ बारह लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 12,00,000	₹ 12,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-672-E-7-295-X-2025-26-दिनांक: 25-03-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 104 /2026 / 813 (1) /चार-2026- 2033982 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in